न्यायालय मान0राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र0क्र0 / दो /2015 निगरानी

नि/3488-II-15

श्री टी0 पी0 नायक एड0
द्वारा आज दि. 26/10/15 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रामा पुत्री दलपत यादव
निवासी ग्राम पलेरा तहसील
तहसील पलेरा जिला टीकमगढ
--आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन -- अनावेदक

(तहसीलदार पलेरा द्धारा प्र0क्र0 31/अ-3/12-13 में पारित आदेश दिनांक 4.5.13 के पालन कराये जाने हेतु निगरानी - अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959)

महोदय,

(निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण)

यह कि आवेदक ने तहसीलदार महोदय पलेरा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निजी स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 1806/1 रकवा 5.175 हैक्टेयर के नक्शा तरमीम किये जाने की प्रार्थना की , जिस पर से तहसीलदार पलेरा ने प्रकरण कमांक 31/अ-3/2012-13 दर्ज करके स्थल निरीक्षण एवं मौका जांच करा कर आदेश दिनांक 4.5.13 पारित किया तथा नक्शा तरमीम किये जाने के आदेश दिये ।

यह कि तहसीलदार पलेरा द्धारा प्रकरण कमांक 31/अ-3/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 4.5.13 से नक्शा तरमीम करने के आदेश दिये, किंतु अधीनस्थ अधिकारियों /कर्मचारियों द्धारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 4.5.13 का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण यह निगरानी श्रीमान

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 3488-II/2015 निगरानी जिला......टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
17.11.15	आवेदिका के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ आवेदिका के अभिभाषक के तर्को पर विचार किया गया । निगरानी मेमो के संलग्न तहसीलदार पलेरा के प्रकरण कमांक 31/अ-3/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 4-5-13 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका रामावाई पुत्री दलपत यादव ने पलेराहार स्थित भूमि सर्वे कमांक 1806/1 के नक्शा तरमीम की प्रार्थना की है । राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी ने स्थल पर जाकर 24-4-2013 को भूमि की नप्ती करके मौके की स्थिति अनुसार नक्शा तरमीम के प्रस्ताव दिये हैं तथा किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर तहसीलदार पलेरा ने प्रकरण कमांक 31/अ-3/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 4-5-13 से नक्शा तरमीम किये जाने के आदेश दिये हैं। 3/ आवेदिका व्दारा प्रस्तुत निगरानी का मुख्य आधार यह है कि जब तहसीलदार व्दारा आदेश दिनांक 4-5-2013 से नक्शा तरमीम स्वीकृत कर दिया गया , परन्तु इस आदेश का अधीनस्थों व्दारा पालन कर अमल नहीं किया जा रहा है इसलिये	

पालन कराया जावे।

4/ आवेदिका के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर गौर करने एंव तहसीलदार पलेरा के प्रकरण कमांक 31/अ-3/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 4-5-13 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका के निजी स्वत्व एंव स्वामित्व की आराजी कमांक 1806/1 का नक्शा तरमीम आदेशित हुआ है - यदि तहसीलदार का आदेश दिनांक 4-5-13 अपील/निगरानी के अभाव में अंतिम हो चुका है, तहसीलदार के आदेश का अधीनस्थों को पालन करना चाहिये एंव तहसीलदार को स्वयं् के आदेश का पालन अधीनस्थों से कराना चाहिये।

5/ उपरोक्त कारणों से निगरानी अॅशतः स्वीकार की जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि अपील/निगरानी वावत् समाधान होने पर तहसीलदार पलेरा आदेश दिनांक 4-5-13 का पालन करावें।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालिर